भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2437

15 मार्च, 2023 के लिए प्रश्न

टाइड ओवर योजना के तहत आपूर्ति में कदाचार

2437. श्री तोखेहो येपथोमी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागालैंड राज्य में 2018 से टाइड ओवर योजना की आपूर्ति के तहत कदाचार हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या सरकार इस संबंध में उचित कार्रवाई करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) से (ग): "टाइड ओवर" श्रेणी के तहत नागालैंड राज्य को 3872.72 टन चावल का कुल मासिक आवंटन किया गया है, जिसे वर्ष 2018 से राज्य सरकार द्वारा नागालैंड में भारतीय खाद्य निगम के सभी डिपुओं से 100% आधार पर उठान कर लिया गया है।

"टाइड ओवर" खाद्यान्नों का वितरण करने हेतु निबंधन और शर्तों का कड़ाई से पालन करने और गैर-एनएफएसए लाभार्थियों, जिन्हें "टाइड ओवर" खाद्यान्न वितरित किए जाते हैं, का ब्यौरा पब्लिक डोमैन में रखने के लिए नागालैंड राज्य सरकार को एडवाइजरी जारी की गई है, ताकि एनएफएसए के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

*****